

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अरि भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1982 = 100 के आधार पर जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011 के औसत सूचकांक 909 पर निम्न तालिका के अनुसार देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें अंकित है।
दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 909 पर दिनांक 1-02-2012 से 31-07-2012 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नलिखित है:-

$$\frac{(909 - 426) \times 2535.00}{426} = 2874.19$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन:-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 909 पर देय दिनांक 1-2-2012 से 31-7-2012 तक
1	अकुशल	2535.00	2874.19 = 5409.00
2	अर्द्धकुशल	2785.00	3157.64 = 5943.00
3	कुशल	3090.00	3503.45 = 6593.00

Total.

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन:-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 909 पर देय दिनांक 1-2-2012 से 31-7-2012 तक
1	अकुशल	2660.00	3015.92 = 5676.00
2	अर्द्धकुशल	2925.00	3316.37 = 6241.00
3	कुशल	3190.00	3616.83 = 6807.00

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या 598

/4-01/07

दिनांक 21-2-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1- अपर/उप श्रम आयुक्त, गढवाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।